भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3161

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएम-ई-बस सेवा योजना

†3161. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार और जिले-वार कितनी इलेक्ट्रिक बसें चालू हैं, कितनी खरीद की जानी हैं और कितनी की तैनाती की जानी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत, आवंटित और वितरित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है, जिसमें बस खरीद, चार्जिंग अवसंरचना और डिपो की तैयारी पर हुए व्यय का जिले-वार ब्यौरा शामिल है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक स्वीकृत जिले में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग अवसंरचना की उपलब्धता और ग्रिड एकीकरण की तैयारी की स्थिति की निगरानी करती है और यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति से लेकर सड़क पर तैनाती तक लगने वाले औसत समय का डेटा रखती है और यदि हां, तो योजना की शुरुआत से लेकर अब तक उसका जिले-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) भारत सरकार ने 16 अगस्त 2023 को "पीएम-ई-बस सेवा योजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को चलाना और उनका संचालन करना संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर (बिहाइंड-द-मीटर पावर और सिविल डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर) से संबंधित कार्य पूरा होने पर निर्भर है। अब तक कुल 7293 बसों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 6518 बसों के लिए निविदाएँ जारी की जा चुकी हैं। पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत स्वीकृत और निविदाकृत बसों की संख्या का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य ने अब तक इस योजना में भागीदारी नहीं की है; इसलिए, पीएम

ई-बस सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, स्वीकृत डिपो को बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एकमुश्त 100% केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान की जाती है।

इस योजना में सकल लागत अनुबंध मॉडल अपनाया गया है जिसके अंतर्गत ऑपरेटर बसों को काम पर लगाने के साथ-साथ चार्जर भी उपलब्ध कराता है। शहर संबंधित वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम) के परामर्श से ग्रिड इन्टीग्रेशन रेडीनेस सहित बीटीएम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत गठित परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन समिति (पीएमईसी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उनकी प्रगति की निगरानी करती है।

*****

अनुलग्नक- I

7 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3161 का अनुलग्नक

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत स्वीकृत बसों की संख्या का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण:

वित्तीय वर्ष	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या	स्वीकृत बसों की संख्या
2023-24	असम	01	100
	बिहार	06	400
	छत्तीसगढ	04	240
	गुजरात	06	450
	हरियाणा	07	450
	मध्य प्रदेश	06	582
	महाराष्ट्र	22	1559
	मेघालय	01	50
	ओडिशा	05	400
	पंजाब	04	347
	राजस्थान	08	675
	उत्तराखंड	02	150
	चंडीगढ़	01	100
	जम्मू और कश्मीर	02	200
	लद्दाख	01	15
	पुदुचेरी	01	75
2024-25*	आंध्र प्रदेश	11	750
	कर्नाटक	10	750
	18	**98**	**7293**

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत कुल 7,293 बसों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,512 बसें और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,781 बसें शामिल हैं (* पहले से अनुमोदित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संशोधित मांग सहित)।

पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत निविदाकृत बसों की संख्या का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण:

वित्तीय वर्ष	निविदा	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निविदाकृत बसों की संख्या
2023-24	निविदा I	असम	100
		महाराष्ट्र	1,290
		हरियाणा	200
		जम्मू और कश्मीर	125
		चंडीगढ़	100
		ओडिशा	340
2024-25	निविदा II	लद्दाख	15
		मध्य प्रदेश	472
		छत्तीसगढ	205
		राजस्थान	675
		उत्तराखंड	110
		पंजाब	305
		मेघालय	20
		बिहार	400
		पुदुचेरी	75
		गुजरात	425
		हरियाणा	250
		महाराष्ट्र	121
		आंध्र प्रदेश	750
		मध्य प्रदेश-7 एम	110
		छत्तीसगढ़-7 एम	35
		उत्तराखंड-7 एम	40
		जम्मू और कश्मीर-7 एम	75
		महाराष्ट्र-7 एम	148
		ओडिशा-7 एम	60
		मेघालय-7 एम	30
		पंजाब-7 एम	42
		कुल	6,518

*****